समाचार

लाकडाउन उल्लंघन पर 5000 रूपये जुर्माना

कोरबा 18 मई 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। बेवजह घूमने वालों, लाकडाउन के दौरान बिना अनुमति वाली दुकान खोलने वालों आदि पर यह कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 3000 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 500 रूपये, टी. पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, बालको जोनांतर्गत 500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड विभिन्न प्रकरणों पर लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें।